विविध बैंक प्रकरण सं0 82/2019 (RCMS 2019/00133) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री राम प्रसाद मीना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक), द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. मैसर्स अनूप रेडीमेड –प्रो. श्री अनूप कुमार अग्रवाल, दुकान नं. 12, एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 452 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर (राज.)

16.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई, एवम पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स अनूप रेडीमेड –प्रो. अनूप कुमार अग्रवाल को ऋण सुविधा के रूप में 6,00,000/–रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) का ऋण दिनांक 09.11.2015 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मैसर्स अनूप रेडीमेड–प्रो. अनूप कुमार अग्रवाल द्वारा अपनी सम्पत्ति स्टॉक (Readymande Garmnets, Hosiery, Fancy Goods, Powder, Crème, Kiryana Goods, Cereals, Pulses, Packing Materials, Boxes, Cosmetic, Shoes, Lader Goods) को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.08.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.01.2019 को 6,73,750/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थी को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 30.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स अनूप रेडीमेड – प्रो. अनूप

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अग्रवाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई मै. अनूप रेडीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल की उक्त सम्पति स्टॉक (Readymande Garmnets, Hosiery, Fancy Goods, Powder, Crème, Kiryana Goods, Cereals, Pulses, Packing Materials, Boxes, Cosmetic, Shoes, Lader Goods) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. अनूप रेडीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल **को दिनांक 09.11.2015 को राशि 6,00,000/– रूपये (अखरे रूपये छः लाख मात्र) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. अनूप रेडीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल द्वारा अपनी सम्पत्ति स्टॉक (Readymande Garmnets, Hosiery, Fancy Goods, Powder, Crème, Kiryana Goods, Cereals, Pulses, Packing Materials, Boxes, Cosmetic, Shoes, Lader Goods) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.08.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी का धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 30.01.2019 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया गया है, की रसीद** एवं प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट भी पत्रावली में उपलब्ध है और जिसके अनुसार अप्रार्थी मै. अनूप रेडीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल को उक्त धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पति स्टॉक (Readymande Garmnets, Hosiery, Fancy Goods, Powder, Crème, Kiryana Goods, Cereals, Pulses, Packing Materials, Boxes, Cosmetic, Shoes, Lader Goods) जो ऋणी मै. अनूप रेडीमेड के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 30.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनाक 30.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी मै. अनूप रेड़ीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल को प्राप्त हो चुका है। परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ट्रैक कन्साईन्मैंट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. अनूप रेड़ीमेड–प्रो. अनूप अग्रवाल द्वारा बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जो कि स्टॉक के रूप में बंधक रखी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हुई है और जिसका बैंक द्वारा दस्तावेजात में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिनांक 15.11.2011 में विवरण अंकित है, की सही रूप से पहले पहचान की जाकर की जिस स्टॉक का कब्जा प्रार्थी बैंक लेने जा रहे है वह वास्तव में अप्रार्थी का ही है।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति स्टॉक (Readymande Garmnets, Hosiery, Fancy Goods, Powder, Crème, Kiryana Goods, Cereals, Pulses, Packing Materials, Boxes, Cosmetic, Shoes, Lader Goods) जो कि ऋणी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा उक्तानुसार पहचान कर, जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति(स्टॉक) का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर